मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १ सन् २०२४

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०२४

विषय-सूची

खण्ड:

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.

२. अधिनियम के वृहद् शीर्ष का संशोधन.

३. धारा २ का संशोधन.

४. धारा ५ का संशोधन.

५. धारा ६ का संशोधन.

६. धारा २१ का संशोधन.

७. धारा २४ का संशोधन.

८. धारा २८ का संशोधन.

९. धारा ६१ का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १ सन् २०२४

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०२४

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०११ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२४ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा और इस संशोधन अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०११ (क्रमांक १९ सन् २०११) के अधीन मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध बैचों पर लागू नहीं होगी.

अधिनियम के वृहद् शीर्ष का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०११ (क्रमांक १९ सन् २०११) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के वृहद् शीर्ष में, शब्द ''नर्सिंग'' तथा शब्द ''सह-चिकित्सा'' का लोप किया जाए.

धारा २ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २ में,-

(क) खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

''(ग क) ''मण्डल'' से अभिप्रेत है, कर्मचारी चयन मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल.''.

(ख) खण्ड (ध) का लोप किया जाए.

(ग) खण्ड (फ) का लोप किया जाए.

(घ) खण्ड (य ज) का लोप किया जाए.

धारा ५ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ५ में, खण्ड (तैंतीस) में, शब्द ''व्यापम'' के स्थान पर, शब्द ''कर्मचारी चयन मण्डल'' स्थापित किए जाएं.

धारा ६ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ६ में,-

(एक) उपधारा (२) में, शब्द ''नर्सिंग'' तथा शब्द ''सह-चिकित्सा'' का लोप किया जाए;

(दो) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

''(३) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात—

(क) ऐसे महाविद्यालयों या विद्यालयों या संस्थाओं को लागू नहीं होगी, जिन्हें यथास्थिति, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद्, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद् द्वारा या मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया हो;

(ख) चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, योग नेचुरोपैथी, सिद्ध या सहबद्ध विषयों के अध्यापन में लगे हुए किसी विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग को लागू नहीं होगी;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा संधारित या संबद्ध महाविद्यालयों या विद्यालयों या संस्थाओं को लागू नहीं होगी.''.

धारा २१ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा २१ में, उपधारा (१) में, समूह-ग में, खण्ड (बारह) में, शब्द ''नर्सिंग'' तथा शब्द ''सह-चिकित्सा'' का लोप किया जाए.

धारा २४ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा २४ में, उपधारा (१) में,-

(एक) खण्ड (सात) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

''(सात) संबद्ध महाविद्यालयों से दो विभागाध्यक्ष, जो कुलाधिपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी बारी से नामनिर्देशित किए जाएंगे.''.

(दो) खण्ड (दस) में, शब्द ''नर्सिंग'' तथा शब्द ''सह-चिकित्सा'' का लोप किया जाए.

धारा २८ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा २८ में, उपधारा (१) में, खण्ड (पांच) के परन्तुक में, शब्द ''भारतीय नर्सिंग परिषद्'' तथा शब्द ''अथवा सह-चिकित्सा परिषद्'' का लोप किया जाए.

धारा ६१ का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की धारा ६१ में, उपधारा (१) में, शब्द ''भारतीय नर्सिंग परिषद्'' तथा शब्द ''या सह-चिकित्सा परिषद्'' का लोप किया जाए.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, नर्सिंग आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, योग, नेचुरोपैथी, सिद्ध, सह-चिकित्सा और उपाधि एवं उपाधिपत्र स्तर पर अन्य सहबद्ध विषयों में व्यवस्थित, दक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०११ (क्रमांक १९ सन् २०११) अधिनियमित किया गया है.

२. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की बढ़ती जिम्मेदारियों की दृष्टि से और राज्य में चारों तरफ फैले हुए नर्सिंग एवं सह-चिकित्सा संस्थाओं की संख्या में सतत् वृद्धि और छात्रों के बढ़ते हुए वार्षिक प्रवेश की दृष्टि से यह आवश्यक है कि अन्य मान्यता प्राप्त शासकीय एवं निजी विश्वविद्यालय उपाधि एवं उपाधिपत्र स्तर पर नर्सिंग एवं सह-चिकित्सा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी उठाएं, जिससे कि आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, नर्सिंग एवं सह-चिकित्सा विषयों को छोड़कर परिनियम में यथा उल्लिखित चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, आयुर्वेदिक एवं अन्य विषयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित कर सकें.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल:
तारीख ५ फरवरी, २०२४.

राजेन्द्र शुक्ल
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०११ (क्रमांक १९ सन् २०११) से उद्धरण

* *

धारा-२ क से ख * * * *

(ग) ''स्वशासी महाविद्यालय या विद्यालय'' से अभिप्रेत है, ऐसी संस्था जिसे इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबंधों के अनुसार कार्य परिषद् द्वारा स्वशासी संस्था के रूप में घोषित किया गया है:;

* * *

(ध) ''भारतीय नर्स परिषद्'' से अभिप्रेत है, भारतीय नर्स परिषद् अधिनियम, १९४७ (१९४७ का ४८) के अधीन स्थापित नर्स परिषद्:,

* * *

(फ) ''सह-चिकित्सा परिषद्'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, २००० (क्रमांक १ सन् २००१) के अधीन स्थापित सह-चिकित्सा परिषद्:,

* * *

(य ज) ''व्यापम'' से अभिप्रेत है, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल;

* * * * *

धारा-५ (एक) से (बत्तीस) * * *

५. (तैंतीस) जहां कहीं चुने गए अभ्यार्थियों की सूची व्यापम द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती है वहां विश्वविद्यालय में प्रवेश संबंधी मापदण्ड, जिनके अंतर्गत परीक्षा मूल्यांकन या जांच की कोई अन्य पद्धति आती है अवधारित करना:,

* * * * *

धारा-६ उपधारा (१) * * *

(२) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे महाविद्यालय या विद्यालय या संस्था के संबंध में जो चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, योग, नेचुरोपैथी, सिद्ध, सह-चिकित्सा और अन्य सहबद्ध विषयों में शिक्षा दे रहा है और उपधारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए क्षेत्र की सीमाओं में स्थित है, यह समझा जाएगा कि वह ऐसी तारीख से, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए, विश्वविद्यालय से सहयुक्त है और उसे विश्वविद्यालय की विशेषाधिकार मिल गए है और वह परिनियमों या विनियमों द्वारा विहित की गई रीति में अन्य विश्वविद्यालय या बोर्ड से सहयुक्त नहीं रह जाएगा.

(३) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात,—

(क) ऐसे महाविद्यालयों या विद्यालयों या संस्थाओं को लागू नहीं होगी जिन्हें यथास्थिति, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद्, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद् या सह-चिकित्सा परिषद् द्वारा और मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया हो,

(ख) चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, सह-चिकित्सा, योग, नेचुरोपैथी, सिद्ध या सहबद्ध विषयों के अध्यापन में लगे हुए किसी विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग को लागू नहीं होंगे,

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा संधारित या संबद्ध महाविद्यालयों या विद्यालयों या संस्थाओं को लागू नहीं होगी.

* * * * *

धारा-२१ * * *

(१) (बारह) भारतीय रेडक्रास सोसाइटी और भारतीय चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नर्सिंग, सह-चिकित्सा, योग, नेचुरोपैथी, सिद्ध व्यवसायियों के संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले चार से अनाधिक व्यक्ति जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे:,

* * *

धारा-२४ * * *

(सात) संबद्ध महाविद्यालयों या विद्यालयों से दो विभागाध्यक्ष, जो नर्सिंग या सह-चिकित्सा विषयों में से एक जो कि कुलाधिपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किया जाएगा:,

* * *

(दस) चिकित्सा/दंत/नर्सिंग/आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी/योग/नेचुरापैथी/सिद्ध/सह-चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र से दो शिक्षाविद् जिन्हें कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा:

* * * *

धारा-२८ उपधारा (१) (५) किसी शिक्षण संस्था को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए जाने संबंधी आवेदन पर विचार करना:

परन्तु किसी ऐसे आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि संस्था को यथास्थिति, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद्, भारतीय नर्सिंग परिषद्, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्, सह-चिकित्सा परिषद् अथवा मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया गया है:

* * * *

धारा-६१ उपधारा (१) महाविद्यालय, विद्यालय और संस्थाओं में आचार्यों, सह-आचार्यों, उपाचार्यों, सहायक आचार्यों, प्राध्यापकों तथा विभागाध्यक्षों जो यथास्थिति, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद्, भारतीय नर्सिंग परिषद्, भारतीय केन्द्रीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् या सह-चिकित्सा परिषद् द्वारा अधिकथित की गई विद्या संबंधी तथा अन्य अर्हताएं और अनुभव संबंधी शर्तें पूरी करते हैं तथा संबंधित परिषद् द्वारा अनुमोदित या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे हैं, विश्वविद्यालय द्वारा क्रमश: आचार्यों, सह-आचार्यों, उपचार्यों, सहायक आचार्यों, प्राध्यापकों तथा विभागाध्यक्षों के रूप में मान्यता दी जाएगी. संकायाध्यक्ष/महाविद्यालयों के प्राचार्य जो संबंधित विषयों में स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि स्तर का न्यूनतम १५ वर्ष का अध्यापन अनुभव रखते हैं तथा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य का वेतन आहरित कर रहे हैं, विश्वविद्यालय द्वारा आचार्य के रूप में मान्य किए जाएंगे.

* * *

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.